सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग , बिहार पटना के विभागीय संकल्प संख्या 3756 दिनांक 10/11/13 एवं पत्रांक 1780 दिनांक 3/05/2013 एवं योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 4973 दिनांक 25/11/13 के आलोक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका में विहित प्रावधान के तहत विधुत कार्यपालक अभियंता विधुत आपूर्ति प्रमण्डल पश्चिमी छपरा के पत्रांक 72 दिनांक 10/01/14 के द्वारा 3 (तीन) निम्नांकित योजना (विधुतीकरण) का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। उक्त योजनाओं के प्राक्कलनों में सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत तकनीकी स्वीकृति की राशि के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है। साथ ही इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित योजनाओं के नाम के सम्मुख स्तम्भ 6 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि का 80 % की राशि को विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान किया जाता हैं। विमुक्त राशि का चेक / RTGS के माध्यम से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड पटना के पदनाम से खाता स0-0352101042061 IFSC CODE- CNRB 0000352 KENRA BANK SOUTH GANDHI MAIDAN BRANCH,PATNA मे निर्गत करने हेतु आवश्यक कारवाई सूनिश्चित किया जाय।

क्र0	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनओ का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्ति राशि 80 %	माननीय सदस्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	मॉझी	मॉझी प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम – घोरहट मठिया में विधुतीकरण कार्य।	460561	460561	368300	मा0 सां0 राज्य सभा शिवानन्द तिवारी
2	**मॉझी**	मॉझी प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम – गैरतपुर एवं गरेया टोला में विधुतीकरण कार्य।	356183	356183	284900	"
3	**जलालपुर**	जलालपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम – भटवलिया में विधुतीकरण कार्य।	599284	599284	479400	"
		कुल योग :–	1415928	1415928	1132600	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (चौदह लाख पन्द्रह हजार नौ सौ अठाइस रुपये मात्र)

विमुक्ति राशि (ग्यारह लाख बतीस हजार छः सौ रुपये मात्र)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :– इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य विधुत कार्यपालक अभियंता विधुत आपूर्ति प्रमण्डल छपरा पश्चिमी द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यन्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यन्वयन की शर्ते

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नही है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नही पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओ का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।

2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं के लोक निर्माण सहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।

3. योजनाओ के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा।

4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।

5. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।

6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।

7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।

8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबधित प्रशासी विभाग को स्थानातरिंत किया जा सके।

10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण संबंधित अंचलधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबावदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।

12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

ह०/-
जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक......167....../यो0 दिनांक......12-2-14......./

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता विधुत आपूर्ति कार्य प्रमण्डल छपरा पश्चिमी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- M.D North bihar power Distribution company Limited Patna को सूचनार्थ एवं निदेश है कि उक्त विमुक्त राशि जिला योजना कार्यालय सारण छपरा से प्राप्त करना सूनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :- विधुत कार्यपालक अभियंता विधुत आपूर्ति प्रमण्डल छपरा पश्चिमी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से राशि विमुक्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव योजना एवं विकास बिहार पटना /क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सारण प्रमण्डल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर एन0 आई0 सी सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सूनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सूनिश्चित करे।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

12/2/14
जिला योजना पदाधिकारी
सारण,छपरा।

Aadas list rajiv pratap rudi